रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 347] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 25, 1981/श्रावण 3, 1903
No. 347] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 25, 1981/SRAVANA 3, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1981

का. आ. 606(अ).—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 26 जुलाई, 1981 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और धारा 76 की उपधारा (1)

और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबंध पश्चिम बंगाल राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"जिला नदिया में कल्याणी के
पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत
मौजा सागुना और मौजा कुलिया के
अंतर्गत आने वाले क्षेत्र ।"

[संख्या एस-38013/21/81-एच. आई.]

आर. के. दास, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 1981

S.O. 606(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 26th July, 1981 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of West Bengal, namely :—

"The areas covered by Mouza Saguna and Mouza Kulia within the jurisdiction of police station of Kalyani in the District of Nadia."

[No. S-38013|21|81-HI]

R. K. DAS, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI 110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981